भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

56/विवाद/6/2017/पीपीएस-।।

2017 का विवाद सं. 6

<u>नागा पीपुल्स फ्रंट, जो नागालैंड एवं मणिपुर में एक राज्यीय दल है, में विवाद के कानूनी मामले में</u>

<u>आदेश</u>

1. नागा पीपुल्स फ्रंट (एतद्पश्चात "एनपीएफ") नागालैंड एवं मणिपुर राज्यों में एक मान्यता-प्राप्त राज्यीय दल है। दल द्वारा 2015 में प्रस्तुत की गई पदाधिकारियों की सूची के अनुसार डा. शुरहोजेली लिएजिएत्सु को दल के अध्यक्ष के रूप में, और श्री अपोंग पोंगेनर को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दर्शाया गया था। एनपीएफ के संविधान के अनुसार पदाधिकारियों का कार्यकाल 5 वर्ष है।

2. अगस्त, 2017 के महीने में श्री नेफियु रियो द्वारा यह दावा करते हुए एक याचिका दाखिल की गई कि डा. शुरहोजेली लिएजिएत्सु को दलीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और एनपीएफ के विधायकों द्वारा 29.07.2017 को उन्हें (श्री रियो) अंतरिम अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

3. श्री रियो की याचिका के अपने उत्तर में डा. लिएजिएत्सु ने श्री रियो के दावे का खंडन किया और प्रस्तुत किया कि वे दल के अध्यक्ष बने हुए हैं।

4. दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने पर आयोग ने आदेश दिनांक 17 अक्तूबर, 2017 के जरिए निदेश दिया कि विवाद का निपटारा दलीय संविधान के अनुच्छेद XIV की शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए जिसमें व्यवस्था की गई है कि *दल में विभाजन होने या किसी अन्य दल के साथ विलयन होने से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की दशा में केन्द्रीय दल के आम सम्मेलन में उपस्थित और मतदान करने वाले सक्रिय सदस्यों का 2/3 बहुमत विवाद्यक का अवधारण करेगा।*

5. 06-11-2017 को श्री रियो ने आदेश दिनांक 17-10-2017 की इस आधार पर समीक्षा करने की मांग करते हुए एक आवेदन दाखिल किया कि उनके गुट ने पहले ही 20-09-2017 को सक्रिय सदस्यों के आम सम्मेलन का आयोजन कर लिया था। अलग से, श्री रियो ने भी निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा-15 के अंतर्गत यह घोषणा चाहते हुए 07-11-2017 को और एक याचिका दायर की कि उनकी अध्यक्षता वाला गुट एनपीएफ है। इस याचिका के साथ उन्होंने दल के विधायकों और दल की केन्द्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्य कहे जाने वाले व्यक्तियों से अलग-अलग शपथ-पत्र भी दाखिल किए जिनमें श्री रियो की अगुआई वाले गुट के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की गई थी। उक्त याचिका की प्रति डा. शुरहोजेली को, उनके उत्तर के लिए भेजी गई थी।

6. इस दरम्यान, श्री रियो ने एक आवेदन दिनांक 11-12-2017 प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा प्रतीक आदेश के पैरा-15 के अंतर्गत दाखिल याचिका वापस लेने की इच्छा व्यक्त की गई थी। उनके आवेदन की अंतर्वस्तु नीचे पुनर्प्रस्तुत की गई है:-

> *"अधोहस्ताक्षरी द्वारा नागा पीपुल्स फ्रंट पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पूर्वोक्त मामला निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा-15 के अधीन 17 अगस्त, 2017 को दाखिल किया गया था। नागालैंड राज्य में पिछले कुछेक दिनों की उभरती राजनीतिक स्थितियों पर विचार करते हुए अधोहस्ताक्षरी (अर्थात् पूर्वोक्त विवाद मामले में आवेदक) ने नागा पीपुल्स फ्रंट पार्टी के अध्यक्ष पद से पत्र दिनांक 08-12-2017 के द्वारा तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे दिया था। इन परिस्थितियों में, अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोल्लिखित मामले को वापस लेने की अनुमति दी जाए और इस संबंध में एक समुचित आदेश पारित किया जाए।"*

7. ऊपर उल्लिखित आवेदन के साथ, श्री रियो ने उनके द्वारा श्री टी.आर. जेलियांग को संबोधित पत्र की प्रति भी संलग्न की है जिसकी एक प्रति डा. शुरहोजेली को उन्हें अध्यक्ष के रुप में सन्दर्भित करते हुए पृष्ठांकित की गई थी। उक्त पत्र में डा. शुरहोजेली को एनपीएफ अध्यक्ष के रूप में संदर्भित किया गया है। उक्त पत्र में श्री रियो ने दल के भीतर उनके लिए समर्थन के अभाव का उल्लेख किया है और कहा है कि वे दल के अध्यक्ष के पद से त्याग-पत्र दे रहे हैं।

8. डा. शुरहोजेली ने श्री रियो के ऊपर-उल्लिखित आवेदन का संदर्भ देते हुए दिनांक 15-12-2017 को एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन में, डा. शुरहोजेली ने कहा कि उन्हें विगत चार अवसरों, जिसमें 2014 में उनका निर्वाचन सम्मिलित है, पर दल के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था और वे दल के अध्यक्ष बने हुए हैं और उनका वर्तमान कार्यकाल 2020 तक है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आयोग के आदेश दिनांक 17-10-17 के अनुसरण में दलीय संविधान के उपबंधों के अनुसार दल के सक्रिय सदस्यों की आम सभा 22-11-2017 को आयोजित की गई थी, और आम सभा द्वारा उनके अध्यक्षत्व की पुन:पुष्टि की गई। डा. शुरहोजेली ने अपने समर्थन में नागालैंड में दल के 38 विधायकों के शपथ-पत्र भी दाखिल किए।

9. मामले से संबंधित दस्तावेजों और याची श्री नेफ्यू रियो, जिन्होंने प्रतीक आदेश के पैरा 15 के अंतर्गत याचिका दाखिल की थी, के आवेदन पर विचार करते हुए आयोग ने नागा पीपुल्स फ्रंट से संबंधित अपनी याचिका को वापस लेने के याची के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। आयोग ने निदेश दिया है कि नागा पीपुल्स फ्रंट में विवाद से संबंधित याचिका को वापस ले ली गई याचिका के रूप में खारिज़ कर दिया जाए।

10. तदनुसार, श्री नेफ्यू रियो द्वारा दाखिल की गई याचिका एतद्द्वारा वापस ले ली गई याचिका के रूप में खारिज़ की जाती है।

11. दल को यह निदेश दिया जाता है कि दल के पदाधिकारियों की प्रमाणीकृत सूची, केन्द्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्यों की सूची के साथ प्रस्तुत की जाए।

आदेश से,

(प्रमोद कुमार शर्मा)
सचिव

नई दिल्ली
दिनांक: 09 जनवरी, 2018